"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017 — श्रावण 11, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 (श्रावण 11, 1939)

क्रमांक-8080/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) जो बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 10 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह विधेयक छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में,-

(क) खण्ड (9) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(9-क) "होटल" से अभिप्रेत है ऐसा भवन या ऐसे भवन का भाग, जहां आवासीय सुविधा, वाणिज्यिक उद्देश्य से, मौद्रिक विमर्श हेतु प्रदान की जाती है;"

(ख) खण्ड (13) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(13-क) "मदिरा दुकान" से अभिप्राय होगा फुटकर दुकान, जिन्हें मदिरा के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है तथा इसमें होटल तथा सामान्य मद्यपान गृह सम्मिलित नहीं होगा;"

(ग) खण्ड (16) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(16-क) "मदिरा का विक्रय" से अभिप्रेत है मदिरा दुकान के परिसर से अन्यत्र स्थान पर क्रेता द्वारा उपभोग के लिये, मदिरा दुकान द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के पश्चात् मदिरा का प्रदाय;"

(घ) खण्ड (17) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(17-क) "मदिरा की आपूर्ति" से अभिप्रेत है होटल तथा सामान्य मद्यपान गृह में अनुज्ञप्ति के आधार पर, प्रतिफल हेतु मदिरा का प्रदाय इस शर्त पर करने हेतु जारी किया गया है कि ऐसे मदिरा का उपभोग, ऐसे होटल तथा सामान्य मद्यपान गृह के परिसर के भीतर ही किया जाएगा;"

धारा 17 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 17 में, उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(3) मदिरा का विक्रय अथवा आपूर्ति,- (क) मदिरा के विक्रय की अनुमति केवल अनुज्ञप्ति प्राप्त ऐसे मदिरा दुकानों के माध्यम से दी जाएगी जो राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग अथवा ऐसे राजमार्ग के सर्विस रोड के बाह्य रेंज से 500 मीटर की दूरी की परिधि के भीतर अवस्थित नही होगी तथा ऐसे मदिरा दुकान राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से प्रत्यक्ष दृश्यमान न हो और न ही सीधे पहुंच में हो;

(ख) किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, होटल, जिसके पास अनुज्ञप्ति है, ऐसे होटल के परिसर के भीतर, ऐसी मदिरा के उपभोग हेतु सदस्यों, मेहमानों या अन्य व्यक्तियों को मदिरा की आपूर्ति करने हेतु पात्र होगा चाहे ऐसा होटल, किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग पर या उसके निकट अवस्थित हो;

(ग) किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी होटल एवं सामान्य मद्यपान गृहों को मदिरा के विक्रय के लिये जारी की गई अनुज्ञप्ति को, सदैव मदिरा की आपूर्ति के लिए जारी किया गया समझा जायेगा तथा इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के समस्त सुसंगत प्रावधान निरंतर लागू रहेंगे जैसे कि वे मदिरा के विक्रय पर थे.

स्पष्टीकरण - संदेह के निराकरण के लिये, एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है समस्त कर, ड्यूटी, उपकर अथवा अन्य करारोपण, जैसा कि मदिरा के विक्रय हेतु लागू है, जब तक कि इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन निर्मित किसी अन्य अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, मदिरा के विक्रय पर लागू होंगे."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत :, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 दिसंबर, 2016 के अनुसार सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के समानांतर मदिरा की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं किये जायें. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य आदेश दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि उक्त निर्णय समस्त प्रकार के मदिरा के विक्रय पर लागू होगा;

और यत :, पहले राज्य में 251 बार संचालित थे, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 दिसंबर, 2016 के परिपालन में 1 अप्रैल, 2017 से 151 बार, जो राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर स्थित थे, के अनुज्ञप्ति को निरस्त किया गया है;

और यत : राज्य के बड़े होटल, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों का आयोजन, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है. इससे काफी संख्या में स्थानीय जन को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से राज्य में रोजगार उपलब्ध होता है. इन होटलों के बारों को बंद किये जाने से राज्य की सभी स्टार होटलें इससे प्रभावित हुई है, उच्च स्तर की मदिरा की खपत में कमी आई है तथा राजस्व प्रभावित हुआ है;

अतएव, राज्य शासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) में संशोधन करने का विनिश्चय किया है कि उक्त होटलों को केवल उनके परिसरों के भीतर उपभोग के लिये मदिरा आपूर्ति करने हेतु अनुज्ञात किया जाये, राजस्व में वृद्धि किया जाये तथा राज्य की जनसंख्या के वृहद भाग की आजीविका को सुरक्षित किया जाये. तथापि, राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्गों पर अथवा 500 मीटर के भीतर मदिरा दुकानों को खोले जाने पर प्रतिबंध रहेगा.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 27 जुलाई, 2017

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) की धारा 2 एवं धारा 17 के सुसंगत उद्धरण

धारा 2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो -

(1) "बियर" के अंतर्गत एल, स्टाउट, पोर्टर तथा समस्त अन्य किण्वित मदिरायें आती हैं जो सामान्यत: थव्य (माल्ट) से बनी हो;

(2) "बोतलें भरना" से अभिप्रेत है विक्रय के प्रयोजन के लिये मदिरा को पीपे या अन्य पात्र में से बोतल, घड़े, कुप्पी या अन्य वैसे ही पात्र में अंतरित करना और बोतल भरने के अंतर्गत बोतल का पुन : भरा जाना आता है;

(3) "मुख्य आगम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मुख्य आगम प्राधिकारी घोषित किया जाए;

(4) "सामान्य मद्यपान गृह" से अभिप्रेत है वह स्थान, जहां मदिरा का पीना ऐसे स्थान का स्वामित्व रखने वाले या उस पर अभिभोग रखने वाले, इसका उपयोग करने वाले या उसे चलाने वाले अथवा इसकी देखरेख या उसका प्रबंध या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के लाभ या उसके अभिलाभ के लिए अनुज्ञात किया गया हो, चाहे वह लाभ या अभिलाभ उस स्थान के उपयोग के लिये प्रभार (चार्ज) के रूप में हो या दी गई मद्यपान की सुविधाओं के लिये प्रभार के रूप में हो या किसी भी तरह अन्यथा हो;

(5) "विप्रकृत" (डिनेचर्ड) से अभिप्रेत है मानवीय उपभोग के लिए ऐसी रीति से अनुपयुक्त बना देना जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए;

(6) "आबकारी-कर-योग्य वस्तु" से अभिप्रेत है -

(क) मानवीय उपभोग के लिए कोई भी अल्कोहलीय मदिरा, या

(ख) कोई भी मादक औषधि; या

(ग) नारकोटिक ड्रग्स एण्ड सायकोट्रापिक सब्सटेन्सेस एक्ट, 1985 (क्र. 61 सन् 1985) की धारा 2 के खण्ड (XV) में यथा परिभाषित अफीम और उसके खण्ड (XVIII) में यथा परिभाषित पॉपीस्ट्रा;

(6-क) "आबकारी शुल्क" तथा "प्रतिशुल्क" से अभिप्रेत है यथास्थिति कोई भी ऐसा आबकारी शुल्क या प्रति शुल्क जो संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 में वर्णित है;

(7) "आबकारी आफिसर" से अभिप्रेत है कलेक्टर या कोई भी ऐसा आफिसर या अन्य व्यक्ति, जो धारा 7 के अधीन नियुक्त किया गया हो या शक्तियों से विनिहित किया गया हो;

(8) "आबकारी राजस्व" से अभिप्रेत है वह राजस्व जो इस अधिनियम के, या मदिरा अथवा मादक औषधियों के संबंध में तत्समय में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अधिरोपित किये गए, आदेशित किये गए या तय पाए गए, किसी शुल्क, फीस, कर, शास्ति, संदाय (किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए जुर्माने को छोड़ कर) या अधिहरण से व्युत्पन्न होता या व्युत्पन्न होने योग्य हो;

(9) "निर्यात" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमान्त के आरपार न होकर अन्य प्रकार से राज्य के बाहर ले जाना;

(10) [खण्ड (10) डेन्जरस ड्रग्स एक्ट, 1930 (क्रमांक 2 सन् 1930) द्वारा लुप्त किया गया]

(11) "आयात" (वाक्यांश "भारत में आयात" में के सिवाय) से अभिप्रेत केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमान्त के आरपार न होकर अन्य प्रकार राज्य के भीतर लाना;

(11-क) "मादक द्रव्य" से अभिप्रेत है, कोई भी मदिरा या मादक या मादक औषधि.

(12) "मादक औषधि" से अभिप्रेत है -

(एक) भारतीय भांग के पौधे (कैनाबिस सेटीवाएल) की पत्तियों, छोटे डंठल और फूलने तथा फलने वाले सिरे और उसके अंतर्गत "भांग", "सिद्धि" या "गांजा" के नाम से ज्ञात सब रूप आते हैं;

(दो) [मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 (क्रमांक 5 सन् 1986) के द्वारा विलोपित एवं संशोधित.]

(तीन) मादक औषधि के उपर्युक्त रूपों में से किसी भी रूप का मिश्रण, जो निष्प्रभाव सामग्रियों सहित या रहित हो, या उससे तैयार किया गया कोई भी पेय है; और

[(चार) कोई ऐसी अन्य मादक या स्वापक वस्तु, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मादक औषधि घोषित करे, जो नारकोटिक ड्रग्स एण्ड सायकोट्रापिक सब्सटेन्सेस एक्ट, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985) में यथापरिभाषित स्वापक औषधि न हो.]

(13) "मदिरा" से अभिप्रेत है मादक मदिरा और उसके अंतर्गत द्राक्षिरा-सार (स्पिरिट ऑफ वाइन) स्पिरिट, शराब, ताड़ी, बियर ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हों, या जिनमें अल्कोहल हो, तथा कोई भी ऐसा पदार्थ, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मदिरा घोषित करे, आता है;

(14) "विनिर्माण" के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम आती है, जिसके द्वारा कोई भी मादक द्रव्य उत्पन्न या तैयार किया जाता हो, और उसके अंतर्गत पुन: आसवन करने तथा मदिरा का परिशोधन करने, सुस्वादु बनाने, सम्मिश्रण करने या उसे रंग देने की प्रत्येक प्रक्रिया भी आती है;

(15) "स्थान" के अंतर्गत गृह, भवन, दुकान, अस्थाई कोष्ट (बूथ), डेरा, घेरा स्थल, जलयान, बेड़ा और यान आते हैं;

(16) "विक्रय" के प्रति निर्देश करने वाली अभिव्यक्तियों के अंतर्गत दान के रूप में किये गये अन्तरण के अतिरिक्त कोई भी अन्य अंतरण आता है;

(17) "स्पिरिट" से अभिप्रेत है आसवन से अभिप्राप्त की गई कोई भी मदिरा, जिसमें मद्यसार हो, चाहे वह विप्रकृत हो अथवा नहीं;

(18) "ताड़ी" से अभिप्रेत है किसी भी जाति के ताड़वृक्ष से खींचा गया रस, चाहे वह किण्वित हो या अकिण्वित हो; और

(19) "परिवहन" से अभिप्रेत है राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना.

****

धारा 17. मादक द्रव्यों के विक्रय के लिये अपेक्षित अनुज्ञप्ति- (1) कोई भी मादक द्रव्य उस संबंध में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन तथा उसके निबन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन ही बेचा जायेगा अन्यथा नहीं :

परन्तु -

(क) किसी भी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति, ऐसी ताड़ी, किसी भी अनुज्ञप्ति के बिना, ऐसे व्यक्ति को बेच सकेगा जो इस अधिनियम अधीन ताड़ी का विनिर्माण या विक्रय करने के लिये अनुज्ञप्त हो;

(ख) भांग के पौधे की खेती करने के लिये धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति, पौधे के उन भागों का जिनसे मादक औषधि का विनिर्माण किया जाता हो, या उसका उत्पादन किया जाता हो, इस अधिनियम के अधीन उनका व्यापार करने के लिये अनुज्ञप्त व्यक्ति को, या किसी भी ऐसे आफिसर को, जिसे आबकारी आयुक्त विहित करे, अनुज्ञप्ति के बिना विक्रय कर सकेगा; और

(ग) इस धारा की कोई भी बात किसी भी विदेशी मदिरा के विक्रय को लागू नहीं होगी जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने प्राईवेट उपयोग के लिये विधिपूर्वक प्राप्त की गई हो और उसके द्वारा बेची गई हो या उसके स्थान छोड़ने पर या उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी ओर से या उसके हित-प्रतिनिधियों की ओर से बेची गई हो.

(2) ऐसी शर्तों पर, जिन्हें आबकारी आयुक्त अवधारित करे, अन्य राज्यों में या संघ राज्य क्षेत्रों में तत्समय प्रवृत्त आबकारी विधि के अधीन विक्रय संबंधी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन उस संबंध में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति समझी जा सकेगी.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.